

238

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-11/2016/3/एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।


विषय :- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किये गये ग्रीनकार्ड धारकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में 05 प्रतिशत अंक की सुविधा एवं नियुक्ति हेतु आयु-सीमा में दो वर्ष की छूट के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-40/84/3/1 दिनांक 11 जनवरी, 1985, क्रमांक सी 3-40-ब-84-(3)1 दिनांक 11 जनवरी, 1985.

संदर्भित आदेशों द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किये गये ग्रीनकार्ड धारकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांकों के 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाने एवं आयु-सीमा में 02 वर्ष की छूट की सुविधा 26 जनवरी, 1985 से लागू की गई थी।

2/ वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6(6) अनुसार- "जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं होगा, के प्रावधान एवं शासन द्वारा वर्ष 2012 में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप साक्षात्कार में 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक एवं आयु-सीमा में 02 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण राज्य शासन द्वारा संदर्भित दोनों परिपत्र दिनांक 11 जनवरी, 1985 तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सी.बी. पड़वार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी 3-11/2016/3/एक
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
 2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
 3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
 4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
 5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
 6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
 7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
 8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
 9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
 12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
 13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
 14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
 15. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
 16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
 17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
 18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
 19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
 20. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
 21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग